सरकारी कर्मियों व पेंशनरों के हित में फैसला

30 जून को रिटायर हुए कर्मियों को मिलेगा वेतनवृद्धि का लाभ

वरीय संवाददाता, रांची

हाइकोर्ट का फैसला

- सेवानिवृत्त कर्मियों को संशोधित पेंशन व एरियर आठ सप्ताह के अंदर देने का निर्देश
- यह लाभ एक जनवरी 2006 से लागू माना जायेगा, भले ही वे 11 अप्रैल 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में एक अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों को एक काल्पनिक (नोशनल) वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा. भले ही वे 11 अप्रैल 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि यह लाभ एक जनवरी 2006 से लागू माना जायेगा और संबंधित कर्मचारियों को संशोधित पेंशन व एरियर आठ सप्ताह के भीतर दिया जाये. अदालत ने राज्य सरकार की दलील को स्वीकार नहीं किया.

अदालत ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को स्पष्ट रूप से भविष्य के लिए लागू घोषित नहीं करता, तब तक उसका प्रभाव पूर्वव्यापी माना जाता है. अदालत ने कहा कि 11 अप्रैल 2023 का फैसला कोई नया कानून नहीं बनाता, बल्कि पहले से मौजूद कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है. इसलिए, इसका लाभ पुराने मामलों में भी मिलेगा. अदालत ने माना कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2006 से लागू हैं और नोशनल वेतन वृद्धि का अधिकार उसी व्यवस्था का हिस्सा है. इसलिए 11 अप्रैल 2023 को प्रभावी तिथि मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है. अदालत के इस फैसले से 30 जून को सेवानिवृत्त हुए बड़ी संख्या में झारखंड के पेंशनरों को संशोधित पेंशन और बकाया राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

क्विक बाइट्स

सहायक अभियंता को रिटायरमेंट के बाद प्रोन्नति

रांची. हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पथ निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता अरविंद कुमार श्रीवास्तव को राहत दी है. अदालत ने उन्हें कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख 23 नवंबर 2009 से कार्यपालक अभियंता के पद पर नोशनल (काल्पनिक) प्रोन्नति देने का आदेश दिया है. हालांकि इस पदोन्नति से उन्हें कोई वित्तीय लाभ, पेंशन में बढ़ोतरी या अन्य मौद्रिक लाभ नहीं मिलेगा. अदालत ने विभाग के 25 अगस्त 2023 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें श्रीवास्तव की पदोन्नति की मांग खारिज कर दी गयी थी. अदालत ने संबंधित विभाग को 12 सप्ताह के भीतर आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि वरीयता सूची में सुधार के बाद प्रार्थी को उसके कनिष्ठों से पहले पदोन्नति का अधिकार बनता है. चूंकि वह कोई आर्थिक लाभ नहीं मांग रहे हैं और किसी अन्य कर्मचारी को भी इससे नुकसान नहीं होगा, इसलिए केवल देरी के आधार पर उनका दावा खारिज नहीं किया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह पदोन्नति केवल पद के नाम और सेवा अभिलेख में दर्ज करने तक सीमित होगी. इसे किसी तरह का वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं माना जायेगा.

पथ निर्माण विभाग

अमृता अस्पताल में 91 बच्चों के हृदय का ऑपरेशन

रांची. जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित झारखंड के बच्चों के निःशुल्क इलाज को लेकर कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा भी शामिल हुए. लिटिल हार्ट चैंपियंस कार्यक्रम में अभियान निदेशक ने कहा कि जन्मजात हृदय रोग से प्रभावित बच्चों की पहचान, स्वास्थ्य जांच और उपचार करना सराहनीय कार्य है. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक और मुखिया से संपर्क कर ऐसे कम से कम पांच बच्चों को इलाज के लिए प्रेरित करें. कार्यक्रम की सफलता तभी मानी जायेगी, जब झारखंड में हृदय रोग से पीड़ित कोई भी बच्चा इलाज से वंचित न रहे. उन्होंने कहा कि अब तक झारखंड से 98 बच्चों को अमृता अस्पताल भेजा गया है, जिनमें 91 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है. अभियान निदेशक ने अमृता अस्पताल से झारखंड में भी इस तरह की उपचार व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया. कार्यक्रम में राज्य समन्वयक एनएचएम मुकेश कुमार आदि मौजूद थे.

आदिवासी छात्र संघ की कार्यकारिणी का विस्तार

रांची. आदिवासी छात्र संघ की बैठक शनिवार को करमटोली स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया में हुई. अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने की. इस दौरान संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और छात्रहित से जुड़े विषयों पर विमर्श हुआ. साथ ही संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गयीं. संघ का केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज उरांव को बनाया गया है. इसके अलावा केंद्रीय कार्यकारी उपाध्यक्ष सुमित उरांव, प्रवीण कुमार मुर्मू (गिरिडीह) और अजय एक्का (सिमडेगा), केंद्रीय कार्यकारी सचिव देवदर्शन उरांव, केंद्रीय संयुक्त सचिव मोनू लकड़ा तथा केंद्रीय कार्यकारी उप सचिव सह मीडिया प्रभारी प्रकाश भगत को नियुक्त किया गया.

चिरौंदी से 11 वर्षीय बच्ची लापता, की गयी शिकायत

रांची. बरियातू थाना क्षेत्र से 11 वर्षीय बच्ची संध्या कुमारी के लापता होने का मामला सामने आया है. बच्ची के लापता होने के बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर थाने में शिकायत की गयी. शिकायत के अनुसार, लंगरा डिपा, चिरौंदी निवासी सहदेव महतो ने पुलिस को बताया कि बेटी संध्या कुमारी तीन सितंबर को घर से खेलने के लिए निकली थी. इसके बाद वापस नहीं लौटी. बच्ची पांचवीं कक्षा की छात्रा है.

गोकुलधाम सोसाइटी के पास खुली नाली बनी बड़ी मुसीबत

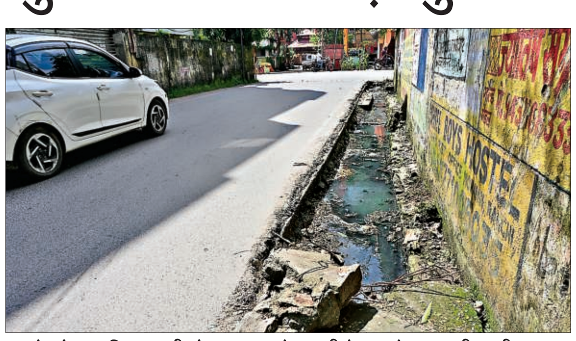

खतरे को आमंत्रित करती गोकुलधाम सोसाइटी के मुहाने पर खुली नाली.

- दो दिन पहले एक कार और स्कूटी नाली में गिर गयी थी
- कार क्षतिग्रस्त और स्कूटी सवार महिला घायल हो गयी थी
- स्लैब हटने से नाली के अंदर की छड़ बाहर निकल आयी है

रांची. मोरहाबादी इलाके में स्थित गोकुलधाम सोसाइटी के मुहाने की खुली नाली राहगीरों के लिए मुसीबत बन गयी है. इस सड़क का उपयोग मोरहाबादी से बरियातू रोड जाने के लिए किया जाता है. यहां से गुजरने वाले कार, स्कूटी और बाइक सवार अक्सर खुले नाले में गिरकर घायल हो रहे हैं. कर्नल सुधीर सिंह ने बताया कि इस मुहाने पर लोग बार-बार नाले में गिर रहे हैं. दो दिन पहले ही एक कार और स्कूटी नाली में गिरी थी. कार चालक घायल नहीं हुए, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं स्कूटी सवार महिला नाले में गिरकर घायल हो गयी थी. पूर्व में यहां स्लैब लगा हुआ था, लेकिन इसे उखाड़ने के बाद अंदर का छड़ बाहर निकल आया है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि गोकुलधाम सोसाइटी का ड्रेनेज इसी नाली में आता है. स्लैब ढकने से पानी सड़क पर फैल जाता था, क्योंकि सफाई नहीं होती थी. इसी कारण लोगों ने निगम कर्मियों को शिकायत कर स्लैब हटवा दिया. निवासियों का कहना है कि अगर नाली को जल्द कवर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यहां बड़ा हादसा हो सकता है.

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

Applications are invited from eligible candidates for engagement as Law Researcher/ Research Associate in **The High Court of Jharkhand, Ranchi** on **contractual basis.**

Detailed advertisement and format of application form are available on the official website of High Court of Jharkhand, Ranchi i.e. **www.jharkhandhighcourt.nic.in/recruitment.**

Starting Date : 07.09.2026 — **Sd/- Registrar General I/c**
Closing date: 28.09.2026 — **High Court of Jharkhand, Ranchi**

होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च

एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूनियर साइंस में
नेशनल ओलंपियाड प्रोग्राम 2026-2027

इस प्रोग्राम में भाग लेने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों को **इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स (आईएपीटी)** द्वारा आयोजित संबंधित **नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन (एनएसई)** (साइंस विषयों के लिए) में **21 और 22 नवंबर, 2026** को शामिल होना होगा।

एनएसई में क्वालिफाई करना **2027 के संबंधित इंटरनेशनल ओलंपियाड** में भाग लेने की दिशा में पहला कदम है।

एनरोल करने के लिए:

NSEs: https://www.iapt.org.in (21 अगस्त – 14 सितंबर, 2026)

अधिक जानकारी के लिए: https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in

CBC 48143/11/0006/2627

सार्वजनिक सूचना

माननीय न्यायालय श्री योगेश कुमार
ए.जे.सी. - I सह विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. - 1 सह पी.एम.एल.स., राँची
Misc. Cr. App. No. 1641/2025
ECIR/2/2009 के संबंध में
CNR No. JHRN010091382025

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री अनूप कुमार मंडल के माध्यम से .....शिकायतकर्ता/आवेदक

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं अन्य .....प्रतिवादी/विपक्षी पक्षकार

संपत्ति में वैध हित रखने वाले व्यक्तियों हेतु सूचना

आम जनता तथा विशेष रूप से उन सभी व्यक्तियों को, जो नीचे वर्णित संपत्ति अथवा उसके किसी भाग में कोई वैध हित (legitimate Interest) होने का दावा करते हैं, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति के संबंध में Prevention of Money Laundering Act, 2002 - PMLA के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही लंबित है।

ऐसे सभी दावेदार अपने दावे, यदि कोई हों, संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों सहित न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत एवं स्थापित कर सकते हैं।

जो कोई व्यक्ति उक्त संपत्ति अथवा उसके किसी भाग में किसी वैध हित का दावा करता है, वह उपर्युक्त अवधि के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने वैध हित को स्थापित कर सकता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा प्रस्तुत एवं स्थापित नहीं किया जाता है, तो उक्त विषय में माननीय न्यायालय द्वारा विधि के आनुसार उचित आदेश पारित किया जाएगा।

संपत्ति का विवरण

IAG Company Ltd. के स्वामित्व वाली समस्त भूमि एवं भवन तथा उस पर स्थित सभी उपस्कर, आनुषंगिक संपत्तियों एवं स्थायी परिसंपत्तियां, जो बैंक के पक्ष में बंदक रखी गई हैं, जिनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :

1) डीड संख्या 478 दिनांक 13.10.1972, प्लॉट संख्या 591, 593, 594, 607, 608,197,189, 198, 190, 191, 09, 21, 22, 23 का अंश, तौजी संख्या 28, ग्राम सूडी, परगना चेंगारा, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 63, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 3.78 एकड़,
2) डीड संख्या 1170 दिनांक 18.07.1963, प्लॉट संख्या 331, 332, 333,334, 335, 337, 375, 377, 299, 298, 301, 300, 286, 287, 305, 318, 343, 342, 340 तथा प्लॉट संख्या 339, 346, 345, 344, 349, 355, 384, 294, 320, 692, 687 का अंश, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़, राजस्व थाना रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 16.79 एकड़,
3) डीड संख्या 1171 दिनांक 18.07.1963, प्लॉट संख्या 11, 13, 14, 20, 23, 25 प्लॉट संख्या 22, 24, 26 का अंश, 41, प्लॉट संख्या 40 का अंश, 42, तौजी संख्या 28, ग्राम लाडी, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 53, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 15.13 एकड़,
4) डीड संख्या 7355 दिनांक 17.11.1972, प्लॉट संख्या 43 , ग्राम लाडी, तौजी संख्या 28, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.70 एकड़,
5) डीड संख्या 7356 दिनांक 15.12.1972, प्लॉट संख्या 50, 51, 52, 53, 61, 64, का भाग 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 276, 36 का भाग, 18 का भाग, 41 का भाग, 275 का भाग, 276 का भाग, 26, 20, 24, 27, 17, 23, 25, 26, 30 का भाग, 29 का भाग, 28 का भाग, 33 का भाग, 7 का भाग, 19 का भाग, 31 का भाग, 32 का भाग, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा एवं मटकमा, परगना चेगारा, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, 49, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 24.54 एकड़,
6) डीड संख्या 15473 दिनांक 03.11.1976, प्लॉट संख्या 360, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.16 एकड़,
7) डीड संख्या 13565 दिनांक 22.07.1976, प्लॉट संख्या 31/1, 19/1, 19/2, 19/3, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32/1, 30/5, 30/6, 30/7, 32/2 का अंश, तौजी संख्या 28, ग्राम मटकुमा, परगना चेंगारा, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 49, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.31 एकड़,
8) डीड संख्या 4448 दिनांक 13.08.1965 प्लॉट संख्या 15 का अंश, खाता संख्या 27, तौजी संख्या 28, ग्राम मटकुमा, परगना चेंगारा, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 49, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 1.00 एकड़,
9) डीड संख्या 4449 दिनांक 13.08.1965 प्लॉट संख्या 15 का अंश, खाता संख्या 27, तौजी संख्या 28, ग्राम मटकुमा, परगना चेंगारा, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 49, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.50 एकड़,
10) डीड संख्या 645 दिनांक 16.02.1962, प्लॉट संख्या 26 का अंश, खाता संख्या 29, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.93 एकड़,
11) डीड संख्या 644 दिनांक 16.02.1962, प्लॉट संख्या 28 का अंश, खाता संख्या 35, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 1.17 एकड़,
12) डीड संख्या 1428 दिनांक 27.03.1962, प्लॉट संख्या 30 का अंश, खाता संख्या 23, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 1.45 एकड़,
13) डीड संख्या 645 दिनांक 16.02.1962, प्लॉट संख्या 30 का अंश, खाता संख्या 23, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 1.45 एकड़,
14) डीड संख्या 4040 दिनांक 27.12.1960, प्लॉट संख्या 19/551, खाता संख्या 44, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 53, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.40 एकड़,
15) डीड संख्या 4039 दिनांक 27.12.1960, प्लॉट संख्या16 एवं 18, खाता संख्या 18, तौजी संख्या 28, ग्राम लाडी, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 53, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.78 एकड़,
16) डीड संख्या 3335 दिनांक 09.09.1960, प्लॉट संख्या 22 का अंश, खाता संख्या 26, तौजी संख्या 28, ग्राम लाडी, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 53, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.65 एकड़,
17) डीड संख्या 3333 दिनांक 09.09.1960, प्लॉट संख्या 17-17 का अंश, प्लॉट संख्या 21, खाता संख्या 18, तौजी संख्या 28, ग्राम लाडी, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 53, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 1.275 एकड़,
18) डीड संख्या 3334 दिनांक 09.09.1960, प्लॉट संख्या 17 एवं 21 का अंश, खाता संख्या 18, तौजी संख्या 28, ग्राम लाडी, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 53, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 1.275 एकड़,
19) डीड संख्या 8721 दिनांक 28.11.1959, प्लॉट संख्या 292 का अंश, खाता संख्या 2, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.93 एकड़,
20) डीड संख्या 1694 दिनांक 03.05.1957, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

भाग-I: मौजा लपंगा, रामगढ़, प्लॉट संख्या 354 एवं 355 का अंश, खाता संख्या 05, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, थाना रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.96 एकड़,
भाग-II: प्लॉट संख्या 340, 342 एवं 343 का अंश, खाता संख्या 22, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 0.83 एकड़,
भाग-III: प्लॉट संख्या 294 का अंश, खाता संख्या 15, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 2.13 एकड़,
भाग-IV: प्लॉट संख्या 320, 338, 687, 692 एवं 332 का अंश, खाता संख्या 35, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, थाना रामगढ़ (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 5.31 एकड़,
भाग-V: प्लॉट संख्या 209, 290, 291, 319, 303, 322, 309, 312, 313, 341, 316, 317, 315, 314, 304, 321, 295, 187, 289, 296, 302, 292, 337, 330, 347, 348, 344, 345, 346, 339, 358, 359, 336, 357, 360, 356, 361, 387/1, 357/2 तथा प्लॉट संख्या 689, 690 का अंश, तौजी संख्या 20, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़, (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 32.721 1/2 एकड़,
भाग-VI: प्लॉट संख्या 706 का अंश, खाता संख्या 47, तौजी संख्या 28, ारगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़, (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 3.70 एकड़,
भाग-VII: प्लॉट संख्या 337, 330, 331, 333, 334, 335 ,375, 337, 339, 346, 345, 344, 688 तथा प्लॉट संख्या 299, 298, 301, 300, 278, 286, 287, 288, 305, 318, 349 का अंश, तौजी संख्या 28, ग्राम लपंगा, परगना पालानी, थाना रामगढ़, राजस्व थाना संख्या 56, जिला रामगढ़, (पूर्ववर्ती हजारीबाग), रकबा 8.31 एकड़,

उपर्युक्त संपत्ति अतवा उसके किसी भाग में किसी भी व्यक्ति का कोई वैध हित, अधिकार, स्वत्व अथवा दावा हो, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने उक्त वैध दित, अधिकार, स्वत्व अथवा दावे के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य सहित अपना दावा दिनांक 26/09/2026 को या उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

दिनांक : 02.09.2026

न्यायालय के आदेश से
श्री योगेश कुमार
ए.जे.सी. - I सह विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. - 1 सह पी.एम.एल.स., राँची

JHARKHAND STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED (JSF&CSCL)
(A Government of Jharkhand Undertaking)
JSFC Bhawan, Kadru Main Road, Ranchi - 834002
NOTICE FOR ENGAGEMENT
Ref. No.:- 2959 — Date:- 05.09.2026

Jharkhand State Food & Civil Supplies Corporation Limited (JSF&CSCL) invites from eligible retired officials of the Food Corporation of India (FCI) belonging to the Accounts Cadre for engagement as **Deputy General Manager (Finance)** on a purely contractual. Candidate qualifying as per the eligibility criteria are encouraged to participate in the selection process.
Detailed advertisement, eligibility criteria, remuneration, terms & conditions and online application form are available on https://www.jharkhand.gov.in/food under the **"Recruitments"** section. JSF&CSCL reserves the right to modify/cancel the engagement process without assigning any reason.

Sd/- Managing Director
JSF&CSCL

सूचना

इस सूचना के माध्यम से अभिनव कंस्ट्रक्शन एवं उनके मालिक सुमन सिंह एवं मनीष सिंह को सूचित किया जाता है की आपने हमारे हज़ारीबाग़ शाखा के डेमोटांड वर्कशॉप में आवश्यक मरम्मत के लिए पिछले 4-5 वर्षों से आपने अपने वाहन दिए थे। आवश्यकता अनुसार आपके वाहन को समय पर उचित मरम्मत भी कर दिया गया परन्तु आज तक आपने अपने वाहन के लिए कोई संपर्क नहीं किया और नहीं कोई भुगतान किया। आपको कंपनी के अधिवक्ता के द्वारा 2024 एवं 2025 में दो बार नोटिस भेजा गया परन्तु आप या आपके कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया।
अतः इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर मैनेजर से संपर्क नहीं करते है तो हम अपने लागत की भरपाई उक्त वाहन को रद्दीकृत कर नीलाम करने को स्वतंत्र होंगे और इसके लिए हमारी कंपनी जे. एम. ए. स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड / डायरेक्टर / कर्मचारी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे।

- CUSTOMER NAME : M/S ABHINAV CONSTRUCTION SUMAN SINGH & MANISH SINGH
- REGISTRATION NUMBER : JH 13G 9291
- VEHICLE MODEL : 4223 TC
- ENGINE NUMBER : ISBE5.92304091G63801182
- CHASSIS NUMBER : MAT541217K3J22159

Contact No.: 983571763 / 9204058356
Address : DEMOTAND, HAZARIBAG

प्रबंधन
J.M.A. Stores Pvt. Ltd.

SBI हर भारतीय का बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
परिसर एवं संपदा विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय
8वीं मंजिल, गाँधी मैदान, पटना – 800001
ई-मेल : agmpe.lhopat@sbi.co.in

निविदा संख्या - LHOPAT/2026-27/09/001 , दिनांक : 05.09.2026
धनबाद नगर निगम के क्षेत्राधिकार में प्रशासनिक कार्यालय के निर्माण के लिए फ्री होल्ड भूमि की खरीद

परिसर एवं संपदा विभाग, एसबीआई की ओर से धनबाद के क्षेत्राधिकार में लगभग 30,000 वर्गफीट फ्रीहोल्ड जमीन की सीधी खरीद के लिए जमीन मालिकों / मुख्तारनामा (POA) धारको से निविदा आमंत्रित करता है।
पात्र और इच्छुक जमीन मालिक / मुख्तारनामा (POA) धारक बैंक की वेबसाइट : **https://sbi.bank.in/web/sbi-in-the-news/procurement-news** से निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
निविदा **07.09.2026 से 05.10.2026 तक 15:00 बजे** तक डाउनलोड की जा सकती है। यदि कोई परिशिष्ट / शुद्धिपत्र होगा, तो वह केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
स्थान : पटना
दिनांक : 05.09.2026 — **सहायक महाप्रबंधक (परिसर एवं संपदा)**

एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड
NML एन टी पी सी खनन NTPC Mining Limited
(एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

एनएमएल - चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना, हज़ारीबाग, झारखंड
रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

ईओआई संदर्भ सं. 111481 — **दिनांक: 05.09.2026**

एनएमएल, सीबीसीएमपी, हज़ारीबाग, चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना से प्रभावित परिवारों से ऑनलाइन रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है:
एनटीपीसी सीबीसीएमपी, हज़ारीबाग के लिए 12 घंटे / दिन के आधार पर महिंद्रा बोलेरो, बोलेरो नियो / स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो–एन कमर्शियली रजिस्टर्ड 5–डोर हार्ड टॉप एसी वाहन किराए पर लेना।
तैनाती: तैनाती की तारीख से 30.06.2028 तक।
रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि / समय: 25.09.2026 को 09:00 बजे तक या उससे पूर्व।
पात्र प्रभावित परिवारों को एनटीपीसी ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल: **https://eprocurentpc.nic.in** के माध्यम से ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन रुचि की अभिव्यक्ति जमा करना होगा। विस्तृत रुचि की अभिव्यक्ति, पात्रता मानदंड, ज़रूरी दस्तावेज़ और नियम व शर्तें ऊपर दिए गए ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। कोई भी संशोधन / समय–सीमा में बढ़ोतरी केवल ऊपर दिए गए ऑनलाइन पोर्टल पर ही अधिसूचित की जाएगी।
संपर्क: श्री पद्मलोचन बेहरा, वरिष्ठ सहायक अभियंता (सी एंड एम), **मोबाइल:** 9437489558, **ईमेल:** padmalochanbehera@ntpc.co.in

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक — **Punjab National Bank** ...the name you can BANK upon !

ARMB, राँची (पता: एस. एन. गांगुली रोड, राधेश्याम लेन, रांची, जिला – राँची, झारखंड – 834001 | फोन : 7300705205, ई-मेल: cs6794@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एंव 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/ प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों से बैंक/ सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / उधारकर्त्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक/ स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्त्ता की सम्पत्ति (यों)	A) 13(2) SARFAESI एक्ट के तहत डिमांड नोटिस की तिथि / B) डिमांड नोटिस की तिथि तक बकाया राशि / C) कब्जा की तिथि 13(4) SARFAESI एक्ट 2002 के अनुसार / D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/ रचनात्मक	A) आरक्षित मूल्य (रू0 लाख में) / B) इएमडी / C) बोली वृद्धि राशि / D) Baanknet प्रॉपर्टी आईडी	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
01	**शाखा कायार्लय : हरमू रोड** (201810) **मेसर्स तेज कम्प्यूटर्स** **श्री रूपेश कुमार, पिता – श्री शंकर लाल अग्रवाल तथा स्व. रंजना अग्रवाल, पति – श्री रूपेश कुमार,** R/o – फ्लैट संख्या 1B, नीलकंठ अपार्टमेंट, कांके रोड, थाना–गोंडा, रांची, झारखंड।	आवासीय संपत्ति, जो प्रथम तल पर स्थित फ्लैट संख्या–1B, **नीलकंठ अपार्टमेंट**, प्लॉट संख्या 166, उप-प्लॉट संख्या 1166/B, खाता संख्या 355, थाना संख्या 161, मौजा मिसिरगोंडा, वार्ड संख्या 01, कांके रोड, थाना– गोंडा, जिला–रांची स्थित। उक्त संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 1360 वर्ग फुट है, जो श्री रूपेश कुमार अग्रवाल, पिता – श्री शंकर लाल अग्रवाल एवं स्वर्गीय रंजना अग्रवाल के नाम विक्रय विलेख (सेल डीड) संख्या 4186/4540 दिनांक 29.03.2005 के माध्यम से दर्ज है। संपत्ति की चारों **सीमाएँ निम्नवत् हैं:** उत्तर: फ्लैट संख्या 1A, दक्षिण: भवन का साइड सेटबैक (खुला स्थान), पूर्व: भवन की सामान्य सीढ़ी (कॉमन स्टेयरकेस), पश्चिम: भवन का अग्र भाग (फ्रंट सेटबैक/खुला स्थान)	A) 24.09.2024 B) Rs. 5,84,80,198.34 + further interest C) 14.01.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 39,67,800.00 B) Rs. 3,96,780.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNBABA38206823	24.09.2026 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।
01. सम्पत्तियों को **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलतबयान या चूक के लिए जबावदेह नही होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई-नीलमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **24.09.2026 को अपराह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (**http://baanknet.com**) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 23.09.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnb.bank.in** पर देखें।

SARFAESI अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

तिथि : 02.09.2026
स्थान : राँची

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता

अधिक जानकारी हेतु